ग विषय है। वाद–पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन मात्र से श्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण/सायलान को ब प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा सायलान को प्रथम दृष्टया आराजी प्रयोग का अधिकार प्राप्त हो या नहीं। अतः प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष साबित नहीं होता है।

धा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षतिः– प्रथम दृष्टया मामला का बिन्दू सायलान के रूद्ध साबित हुआ है। चुंकि सायलान वादग्रस्त आराजी में अभिलिखित खातेदार काश्तकार हीं है जिससे सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है। यदि खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो गैरसायलान को अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त बिंदू भी सायलान के विरूद्ध साबित होता है।

उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण वादीगण/सायलान के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने से अस्वीकार किया जाना विधिसंगत होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना पत्र सायलान/वादीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सायलान के पक्ष में बखूबी साबित नहीं होने तथा सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली इसी माफिक निर्णीत होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),जैतारण
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 30.07.2025 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),जैतारण
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक),जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)